5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
5 रु. पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /14 पी.बी.आर. निगरानी 528-PBR-15

आर. एस. गौड़ एड. द्वारा आज दि. 13-3-15 प्रस्तुत
13-03-15

1 श्रीमती गौराबाई पत्नी श्री सूवालाल,

2 उर्मिला पत्नी श्री अशोक सिंह,

3 अनीता पत्नी गजेन्द्र सिंह,

समस्त निवासीगण—ग्राम बरौआ, नूराबाद, जिला ग्वालियर (म.प्र.) ——**याचिकाकर्तागण**

बनाम

गेंदालाल पुत्र श्री हीरालाल, निवासी—ग्राम बरौआ, नूराबाद, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

——**प्रतियाचिकाकर्ता**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15/01/2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर सिटी, ग्वालियर।

आर. एस. गौड़ एड
13/03/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 528– PBR / 15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–5–2015	आवेदक की ओर से श्री आर.एस. गौड़, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें प्रकरण के ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–1–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र को मान्य कर इस आधार पर विलम्ब क्षमा कि गया है कि तहसील द्वारा द्वारा नामान्तरण कार्यवाही में अनावेदक को व्यक्तिशः सूचना नहीं दी गई है, जबकि नामांतरण नियम 27 के अन्तर्गत व्यक्तिशः सूचना दिया जाना अनिवार्य है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष उचित है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होन से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	